

मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन

आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा

नई दिल्ली-110012

दिनांक 10 नवंबर, 2023

सेवा में

Sh. Jayant Kumar Singh

123, Manas Vihar, PO-Shiwans Tannery, Kanpur-208010

(Uttar Pradesh)

Email : crusadersofcountry@gmail.com

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री जयंत कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/00058 दिनांक 10-10-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

मांगी गई जानकारी	जवाब
<ol style="list-style-type: none"> 1. It is a humble request to provide the certified copies of the following at the earliest 2. (a) Orders for spending tax payers money on self-advertisement by PM. (b) Total amount spent on self-advertisement of PM in his total tenure yearwise, month wise daily and hourly basis. (c) Some advertisement with regard to grant under PMAY and Agriculture in recent past were refuted by the beneficiary. Noting on such advertisements reflecting dereliction of duty at PMO tarnishing the image of honourable PM. (d) The self advertisement practice has become a fashion and almost every CM is spending on it by overriding the boundaries of his State resulting in undue use of taxpayers money. Policy/Directive/Ordinance in pipe line to curb this wastage taxpayers money. (e) Any provisions to get the amount spent on self advertisement audited by any institution in our country or abroad. (f) Action taken on ADR reflecting rise of MPs alleged with serious offences in Parliament. (g) Action taken/policy devised to stop horse trading. (h) Any action proposed against MLAs and MPs alleged with serious financial frauds/scams/grave offences. 	<p>In so far as Directorate of Extension is concerned the information is nil.</p>

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार)

विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा नं० 204,

कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012

दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया
दीपा पंडे
(दीपा पांडे)

उप० निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाष :- 011-25846467

ई-मेल :- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।